न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

पंचायत रिव्यु प्रार्थना पत्र सं. 28/2016

प्रार्थीनी–

भगवती देवी पत्नी हरीदास
जाति संत निवासी सुनारों का
मौहल्ला, गुड़ामालानी तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति संत निवासी सुनारों का मौहल्ला, गुड़ामालानी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जरिये सरपंच

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 बाबत रिव्यु करने इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.06.2016 जो निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03/2015 में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मदनलाल सिंघल, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 04/02/2020

1. प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जारी पट्टा विलेख दिनांक 02.11.1977 को अपास्त करने हेतु प्रार्थीनी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03/2016 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर दोनो पक्षों की सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 22.08.2016 के द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थीनी द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय को रिव्यु करने हेतु यह प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आलौच्य निर्णय में न्यायालय द्वारा यह माना गया हैं कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के कार्यालय में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1961 के तहत नियमों की पालना किये बिना जारी किया जाना साबित हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 ओमप्रकाश का नियम 266(ए) व (डी) के अनुसार कोई प्लॉजिबल क्लेम व कब्जा होना साबित नही हैं। प्रार्थीनी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 ओमप्रकाश को पट्टा जारी करने की तारीख 02.11.1977 को अवयस्क होने का उल्लेख किया था तथा इस कथन के समर्थन में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया था। उक्त जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अप्रार्थी की उम्र दिनांक 02.11.1977 को मात्र 12 वर्ष 10 माह थी अर्थात् ओमप्रकाश अवयस्क था तथा निश्चित रूप से अवयस्क के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। अतः आलौच्य निर्णय दिनांक 22.06.2016 को रिव्यु किया जाकर उचित आदेश प्रदान करावें।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीनी के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीनी के अधिवक्ता का कथन हैं कि आलौच्य निर्णय में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया हैं कि निगरानी अधीन पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत गुड़ामालानी में उपलब्ध नहीं हैं, तथा इस आधार पर ही साबित हैं कि आलौच्य पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 का अवलोकन किये जाने से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत की किन्ही कार्यवाहीयों एवं आदेश की सत्यता, औचित्यता एवं अनियमितता की कसौटी अभिलेख का परीक्षण उपरांत उस पर विधि अनुकूल आदेश पारित किया जा सकेगा। आलौच्य निर्णय में न्यायालय द्वारा यह माना हैं कि जब आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख ही उपलब्ध नहीं हैं तो फिर धारा 97 के तहत उसका सत्यता, औचित्यता एवं अनियमितिता की कसौटी पर जांच संभव नहीं हैं तथा निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं। इसके अलावा जहां तक अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टे की दिनांक 02.11.1977 को अप्रार्थी अवयस्क था या नहीं इस तथ्य की जांच भी ग्राम पंचायत के अभिलेख के परे जाकर की जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होती हैं। प्रार्थीनी की ओर से यह रिव्यु प्रार्थना धारा 97(3) के तहत प्रस्तुत किया गया हैं जिसके अन्तर्गत आलौच्य आदेश में ऐसी कोई तथ्य अथवा विधि की सारभूत त्रुटि हुई हों अथवा तात्विक तथ्य को निर्णय में अनदेखा कर विवेचन नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में आदेश को रिव्यु किया जा सकता हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर विवेचन एवं निष्कर्ष देते हुए आलौच्य निर्णय विधिसम्मत रूप से पारित किया जाना प्रतीत होता हैं तथा इस प्रार्थना पत्र के द्वारा ऐसी कोई विधिक या तात्विक त्रुटि को उजागर नहीं किया हैं, जिसके आधार पर आलौच्य निर्णय को रिव्यु किया जावें। अतः प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से काबिल खारिज हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीनी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होना पाये जाने से खारिज किया जाता है।

5. निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)